राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त आश्रय निर्माण/उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या–833/69–1–14 –14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 28.11.2014 को सूडा सभागार में अपराहन 04:30 बजे आयोजित तृतीय बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2014 को आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्यों और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/सूडा के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री अबरार अहमद, विशेष सचिव नियोजन, उ0प्र0 शासन।
2. श्री यतीन्द्र मोहन, संयुक्त सचिव, चिकित्सा व परिवार कल्याण।
3. श्री अविनाश कृष्ण सिंह, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय।
4. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
5. श्री आर.वी. सिंह, नेशनल अरबन हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय।
6. श्री सरन श्रीवास्तव, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय।
7. श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा, लखनऊ।
8. श्री उदय राज सिंह, नगर आयुक्त लखनऊ।
9. श्री उमेश प्रताप सिंह, नगर आयुक्त, कानपुर।
10. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, नगर आयुक्त, अलीगढ़।
11. श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12. श्री हरी राम, अधिशासी अभियन्ता, सूडा लखनऊ।
13. श्री जावेद अख्तर, परियोजना अधिकारी, अलीगढ़।
14. श्री अरविन्द कुमार, असिस्टेन्ट आर्किटेक्चर, अलीगढ़।
15. श्री सतीश चन्द्र वर्मा, परि0 अधिकारी, डूडा उन्नाव।
16. श्री एल. के. तिवारी, सीनियर रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–II कानपुर।
17. श्री रूप राम रस्तोगी, सीनियर रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्ड डी0एस0 यूनिट–II कानपुर।
18. श्री सुधीर सिंह, प्रोपरायटर, वेनटेक इंजीनियर्स।
19. श्री के0 के0 पटेल, सीनियर रेजीडेन्ट इंजीनियर, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
20. श्री यू00के0 सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा लखनऊ।
21. डा0 रश्मि गर्ग, सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, लखनऊ।
22. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
23. श्री संजीव अग्रवाल, सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा, लखनऊ।
24. श्री मो0 तैयब, परामर्शी, सूडा, लखनऊ।

2\. परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में सर्वप्रथम संयुक्त निदेशक सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना

(**Scheme for shelter for urban homeless-SUH**) के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उक्त के साथ यह भी अवगत कराया गया कि ''शहरी बेघरों के लिए आश्रय'' योजना के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0– 55/2003 एवं 572/2003 ई0आर0 कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में सघन समीक्षा की जा रही है। विगत 13.11.14 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण में त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके दृष्टिगत प्रकरण पर विशेष ध्यान देते हुए तेजी से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या– 2984/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक–26.11.2014 के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत जनपदों/शहरों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के अप्रेजल हेतु गठित ''एप्रेजल समिति'' द्वारा परीक्षणोपरान्त राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किय गयेः–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. सं.	शहर का नाम	प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रकार	प्रस्तावित शहरी बेघरों की संख्या	प्रस्तावित निर्माण लागत	परीक्षणोपरान्त निर्माण लागत	निर्माणोपरान्त प्रस्तावित संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु	प्रस्तावित कुल लागत	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कानपुर नगर							
	i) भैरवघाट	अपग्रेडेशन	50–55	67.67	63.10	30.00	93.10	G+2
	ii) चुन्नीगंज	अपग्रेडेशन	55–60	68.91	64.33	30.00	94.33	G+2
	iii) कोपरगंज	अपग्रेडेशन	60–65	68.84	64.28	30.00	94.28	G+2
	योग	**3 अपग्रेडेशन**	**50–65 प्रति आश्रय**		**191.71**	**90.00**	**281.71**	
2	उन्नाव	नया निर्माण	50	229.12	202.47	30.00	232.47	G+2
3	अलीगढ़	नया निर्माण	100	285.96	282.33	29.97	312.30	G+1
4	लखनऊ	नया निर्माण	50	246.35	207.18	30.00	237.18	G+2
	कुल योग	**6 (3 अपग्रेडेशन + 3 नया निर्माण)**			**883.69**	**179.97**	**1063.66**	

उपरोक्त प्रस्तावों पर सम्बन्धित नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के सम्मुख विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रस्तुतीकरण किया गया।

3.1 कानपुर नगर

3.1.1 कानपुर नगर के उल्लिखित तीनों अपग्रेडेशन के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण नगर आयुक्त कानपुर नगर द्वारा करते हुए अवगत कराया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार कानपुर नगर में 17,887 शहरी बेघर है। नगर निगम द्वारा वर्तमान में 28 शेल्टर होम का संचालन किया जा रहा है। जिसमें 2800 लोगों के रहने की व्यवस्था है। जबकि शहर में शहरी बेघरों को समुचित मात्रा में आश्रय व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रयास के क्रम में वर्तमान में कम क्षमता

वाले आश्रयों को अपग्रेड करके 50 से 65 शहरी बेघरों हेतु किये जाने का प्रस्ताव है।

3.1.2 प्रस्तुतीकरण में नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि तीनों प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति अन्तःवासी हेतु 50 वर्गफिट स्थान के मानक के अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार की गयी है।

3.1.3 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि अपग्रेड किये जाने वाले तीनों शेल्टर होम में सभी श्रेणी के पुरूषों, महिलाओं, वृद्ध तथा विकलांगों तथा फैमिली आश्रय की अलग–अलग व्यवस्था की गई है। अपग्रेडेशन हेतु, प्रस्तावित दोनों तलों पर मानकों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शौचालय, बाथरूम का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। उक्त के साथ ही स्टोर रूम, किचेन, लाइब्रेरी का भी प्राविधान प्रस्तावित है।

3.1.4 नगर आयुक्त कानपुर नगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित सभी आश्रयों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, फस्ट एड वाक्स, लाइब्रेरी, खुली जगह, शिशु एवं मातृत्व कल्याण की सेवाओं के साथ ही अन्य इनटाइटिलमेंटस के लिंकेजेज हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय कर उपलब्ध कराया जायेगा।

3.1.5 अवगत कराया गया है कि **भैरवघाट** स्थित अपग्रेडेशन हेतु प्रस्तावित शेल्टर होम गंगा नदी के किनारे बी0आई0पी0 रोड पर स्थित है उक्त रोड के आसपास विभिन्न मल्टीस्टोरी भवनों जिसमें व्यवसायिक भवन भी सम्मिलित है का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके दृष्टिगत काफी संख्या में शहरी बेघर आस पास सड़कों के किनारे फुटपाथ तथा पेड़ के नीचे आश्रय लेते हैं। वर्तमान में उक्त आश्रय की क्षमता 25–30 लोगों के आश्रय की है जिसे 50 से 55 लोगों हेतु उच्चीकृत किया जाना है।

3.1.6 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि **भैरवघाट** हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त स्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय नियमों का पालन किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.1.7 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्तावों में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट के साथ संक्षिप्त में कानपुर नगर की प्रोफाइल, का उल्लेख है।

3.1.8 प्रस्ताव में निर्माण अवधि, आश्रय में प्रस्तावित बेघरों की संख्या, लोकेशन का विवरण, आश्रय के प्रकार, सामान्य आवश्यकता आंकलन का विवरण, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख नहीं है, उक्त के सम्बन्ध में नगर निगम प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश बिन्दुओं को प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित कर लिया गया है तथा परियोजना में भी सम्मिलित करने हेतु विवरण शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3.1.9 प्रस्तावित शेल्टर होम का संचालन 5 वर्षो उपरान्त नगर निगम कानपुर नगर द्वारा शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार किये जाने का उल्लेख नगर आयुक्त के पत्र संख्या– 794/NULM/SUH/2014–15 दिनांक–17.11.2014 में उल्लिखित है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.1.10 प्रस्तावित शेल्टर होम के रेनोवेशन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा अपने पत्र संख्या– 794/NULM/SUH/2014–15 दिनांक– 17.11.2014 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शेल्टर होम नगर निगम की भूमि पर स्थित है

तथा वर्तमान में उक्त शेल्टर होम का रख रखाव नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। उक्त पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.1.11 शेल्टर होम के स्वामित्व के सम्बन्ध में उल्लिखित तथ्यों के उल्लेख के साथ शेल्टर होम का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.1.12 निर्मित शेल्टर होम को उच्चीकृत किये जाने हेतु जोनल अभियंता नगर निगम, कानपुर के पत्रांक डी/355/अ0अ0–1/14–15 दिनांक– 17.11.2014 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "भैरव घाट स्थित पूर्व निर्मित शेल्टर होम में दो खण्ड का निर्माण किया जा सकता है"।

3.2.1 अवगत कराया गया है कि **चुन्नीगंज** स्थित अपग्रेडशन हेतु प्रस्तावित शेल्टर होम 'कानपुर नगर' के दो मुख्य व्यवसायिक बाजार नवीन मार्केट, शीशामऊ एवं बस स्टेशन व लाल इमली मिल के पास संचालित है जहां पर काफी संख्या में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्य करने एवं बाजार में अपने रोजगार हेतु आने वाले लोग आश्रयविहीन है, उन आश्रय विहीनों (55–60) को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु शेल्टर होम का उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

3.2.2 प्रस्तावित चुन्नीगंज शेल्टर होम के सम्बन्ध में परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त स्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ. आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.2.3 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्तावों में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट के साथ संक्षिप्त में कानपुर नगर शहर की प्रोफाइल, प्रस्तुत किया गया है।

3.2.4 प्रस्ताव में निर्माण अवधि, प्रस्तावित बेघरों की संख्या, लोकेशन का विवरण, आश्रय के प्रकार, सामान्य आवश्यकता आंकलन का विवरण, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का विवरण दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख नहीं है।

3.2.5 प्रस्तावित शेल्टर होम का संचालन 5 वर्षो उपरान्त नगर निगम कानपुर नगर द्वारा शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार किये जाने का उल्लेख नगर आयुक्त के पत्र संख्या– 794/NULM/SUH/2014–15 दिनांक–17.11.2014 में उल्लिखित है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.2.6 प्रस्तावित शेल्टर होम के रेनोवेशन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा अपने पत्र संख्या– 794/NULM/SUH/2014–15 दिनांक– 17.11.2014 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शेल्टर होम नगर निगम की भूमि पर स्थित है तथा वर्तमान में उक्त शेल्टर होम का रख रखाव नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। उक्त पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.2.7 शेल्टर होम के स्वामित्व के सम्बन्ध में उल्लिखित तथ्यों के उल्लेख के साथ शेल्टर होम का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.2.8 निर्मित शेल्टर होम को उच्चीकृत किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता नगर निगम, कानपुर के पत्रांक डी/565/अ0अ0–4/14–15 दिनांक– 18.11.2014 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "चुन्नीगंज स्थित पूर्व निर्मित शेल्टर होम के ऊपर प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण कराया जा सकता है"।

3.3.1 प्रस्तुतीकरण में नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि **कोपरगंज** स्थित अपग्रेड किये जाने वाला शेल्टर होम चाचा नेहरू अस्पताल, कैम्पस में स्थित है तथा रेलवे स्टेशन एवं व्यवसायिक क्षेत्र के समीप है जहां देश के विभिन्न भागों से ट्रक ड्राइवर अधिक संख्या में रेलवे वेयर हाउस के भेजे जाने हेतु आते हैं। वर्तमान में संचालित आश्रयगृह की क्षमता मानक के अनुरूप कम है जो 60–65 शहरी बेघरों हेतु उच्चीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

3.3.2 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। तकनीकी रूप से प्राप्त स्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन किया जाना अपरिहार्य होगा।

3.3.3 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्तावों में तकनीकी (Estimate) प्राक्कलन लेआउट के साथ संक्षिप्त में कानपुर नगर शहर की प्रोफाइल, प्रस्तुत किया गया।

3.3.4 प्रस्ताव में निर्माण अवधि, प्रस्तावित बेघरों की संख्या, लोकेशन का विवरण, आश्रय के प्रकार, सामान्य आवश्यकता आंकलन का विवरण, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का विवरण दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख नहीं है।

3.3.5 प्रस्तावित शेल्टर होम का संचालन 5 वर्षों उपरान्त नगर निगम कानपुर नगर द्वारा शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार किये जाने का उल्लेख नगर आयुक्त के पत्र संख्या– 794 / NULM / SUH / 2014–15 दिनांक– 17.11.2014 में उल्लिखित है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.3.6 प्रस्तावित शेल्टर होम के रेनोवेशन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा अपने पत्र संख्या– 794 / NULM / SUH / 2014–15 दिनांक– 17.11.2014 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त शेल्टर होम नगर निगम की भूमि पर स्थित है तथा वर्तमान में उक्त शेल्टर होम का रख रखाव नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। उक्त पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.3.7 शेल्टर होम के स्वामित्व के सम्बन्ध में उल्लिखित तथ्यों के उल्लेख के साथ शेल्टर होम का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.3.8 निर्मित शेल्टर होम को उच्चीकृत किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता नगर निगम, कानपुर के पत्रांक डी / 439 / अ0अ0 / 14–15 दिनांक– 18.11.2014 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "चाचा नेहरू चिकित्सालय कोपर गंज, कानपुर नगर में पूर्व निर्मित शेल्टर होम के ऊपर प्रथम एवं द्वितीय तल का निर्माण किया जा सकता है"।

3.3.9 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त कानपुर नगर से प्राप्त 03 उच्चीकरण निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–**

(क). कानपुर नगर के भैरवघाट स्थित शेल्टर होम के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु लागत धनराशि रू0 63.10 लाख, चुन्नीगंज स्थित शेल्टर होम के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु लागत धनराशि रू0 64.33 लाख, कोपरगंज स्थित शेल्टर होम के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु लागत धनराशि रू0 64.28 लाख योजना के दिशा

निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

(ख) निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना कार्यदायी संस्था द्वारा नगर निगम/ शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ग) द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0/ नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता आधारित अनुपातिक रूप में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा फोटोग्राफ आदि विवरण सहित परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सन्तोषजनक स्थिति पाये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(घ). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ड़). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निगम/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को लोकेशन का विवरण, आश्रय के प्रकार, सामान्य आवश्यकता आंकलन का विवरण, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(च) प्रत्येक उच्चीकृत किये जाने वाले आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(छ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई कानपुर द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(झ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरी निकायों/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा कानपुर नगर की उपरोक्त तीनों प्रस्ताव विचार कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. लखनऊ

4.1 लखनऊ नगर के पलटन छावनी मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, लखनऊ में निर्मित कर संचालन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार लखनऊ शहर की

जनसंख्या 28.15 लाख है। लखनऊ जनपद में राजधानी के स्थित होने एवं व्यवसाय का मुख्य केन्द्र होने के कारण आस–पास के जनपदों से काफी संख्या में बेरोजगार एवं निर्धन व्यक्ति रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लखनऊ आते हैं जिनके पास रात में सोने के लिए कोई स्थान नहीं होता है, जिसके कारण वे पुलों के नीचे व फुटपाथों आदि सार्वजनिक स्थलों पर रात गुजारते हैं।

4.2 नगर आयुकत द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम पल्टन छावनी, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ में 50 लोगों को स्थाई आश्रय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित शेल्टर होम जानकीपुरम लेबर अड्डा, थोक सब्जी मण्डी एवं मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन के निकट निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। शेल्टर होम से उक्त स्थलों की दूरी लगभग 100 से 400 मीटर है।

4.3 प्रस्तावित शेल्टर होम 50 व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार है। जिसमें 14 महिलाओं के रहने के लिए पृथक डारमेट्री एवं संलग्न शौचालय का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त 12–12 पुरूषों के लिए 2 डॉरमेट्री, परिवार सहित रहने एवं बीमार व्यक्तियों हेतु 2–2 रूम, (3–3 व्यक्तियों की व्यवस्था हेतु) प्रस्तावित है। उक्त के साथ ही डाइनिंग हाल, किचेन, स्टोर आदि की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गयी है। ताकि योजना के निर्देशों के अनुरूप शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराया जा सके।

4.4 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त स्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

4.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्तावों में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन लेआउट के साथ संक्षिप्त में लखनऊ शहर की प्रोफाइल, लोकेशन का विवरण, आश्रय के प्रकार, सामान्य आवश्यकता आंकलन का विवरण, प्रस्तुत किया गया।

4.6 प्रस्ताव में निर्माण अवधि, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख नहीं है।

4.7 प्रस्तावित शेल्टर होम का संचालन 5 वर्षो के उपरान्त नगर निगम लखनऊ द्वारा अपने संसाधनों से कराये जाने के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है। जो दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

4.8 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण हेतु तहसीलदार नगर निगम लखनऊ द्वारा भूमि पर कब्जा ए.पी.ओ. डूडा को चौहद्दी के उल्लेख के साथ हस्तगत कराते हुए कब्जा प्रमाण पत्र दे दिया गया है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ भी उपलब्ध करा दिया गया है।

4.9 उक्त के साथ ही नगर आयुक्त लखनऊ द्वारा उक्त भूमि (लखनऊ की खसरा संख्या–878 की 8000 वर्गफुट) को शेल्टर होम के निर्माण हेतु उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नगर निगम सदन की बैठक दिनांक 20.10.14 में स्वीकृति का पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4.10 **राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त लखनऊ नगर से प्राप्त 01 नया आश्रय निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:—**

(क). निर्माण कार्य हेतु लागत धनराशि रू0 207.18 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ख) निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना कार्यदायी संस्था द्वारा नगर निगम/ शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा।

(ग) द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0/ नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता आधारित अनुपातिक रूप में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा फोटोग्राफ आदि विवरण सहित परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सन्तोषजनक स्थिति पाये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(घ). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ड़). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व शहर मिशन प्रबंधन इकाई को, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(च) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(छ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था द्वारा नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई लखनऊ द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(झ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरी निकायों/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा लखनऊ के उक्त प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

5. **अलीगढ़**

5.1 **अलीगढ़**– नगर आयुक्त, नगर निगम अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि अलीगढ़ की जनसंख्या 8.74 लाख है साथ ही अवगत कराया गया कि शहर में 114 मलिन बस्तियां है तथा 70 वार्ड हैं। अलीगढ़ के औद्योगिक नगर होने के कारण 5506 औद्योगिक इकाईयां अलीगढ़ में है, जिसमें से 3,500 स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं, 2000 मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज हैं तथा 6 बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं। उक्त इण्डस्ट्रीज मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग, ताला (लॉक इण्डस्ट्रीज) एवं हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज हैं। अलीगढ़ ताला (लॉक इण्डस्ट्रीज) के लिए विख्यात है, जिसमें आस–पास के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। उक्त के साथ ही अलीगढ़ में विश्व विख्यात मुस्लिम युनिवर्सिटी के होने के कारण काफी संख्या में लोगों का आवागमन रहता है।

5.2 विभिन्न इण्डस्ट्रीज में रोजगार एवं अन्य कार्यों हेतु आने वाले काफी संख्या में लोगों को आश्रय की समस्या के कारण विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, फुटपाथ, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के चबूतरों आदि पर रात गुजारना पड़ता है। आश्रय विहीन 100 शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु कस्बा कोल भोजपुरा, अलीगढ़ में नये आश्रय निर्माण का प्रस्ताव योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत है।

5.3 नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित आश्रय में सभी श्रेणी (पुरूष, महिला परिवार एवं बीमार व्यक्तियों) के सभी श्रेणी के शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराये जाने हेतु नये आश्रय निर्माण का प्रस्ताव है।

5.4 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त स्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें कार्यदायी संस्था द्वारा वित्तीय नियमों का पालन किया जाना अपरिहार्य होगा।

5.5 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्तावों में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन ले आउट के साथ संक्षिप्त में अलीगढ़ शहर की प्रोफाइल, लोकेशन का विवरण, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है।

5.6 प्रस्ताव में आश्रय के प्रकार, आवश्यकता आंकलन का विवरण, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख नहीं है।

5.7 प्रस्तावित शेल्टर होम का संचालन 5 वर्षों के उपरान्त नगर निगम अलीगढ़ द्वारा "इसका संचालन किया जायेगा" का उल्लेख नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संख्या– मेमो/14–15 दिनांक– 25.11.2014 के द्वारा उपलब्ध कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5.8 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण हेतु भूमि के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संख्या– मेमो /14–15 दिनांक– 25.11.2014 के द्वारा अवगत कराया गया है कि "अलीगढ़ शहर के भोजपुरा पुलिस चौकी के पीछे, कस्बा कोल में शेल्टर होम के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि पर नगर निगम का स्वामित्व है।

5.9 शेल्टर होम निर्माण हेतु "कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ प्राप्त किया जाना व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है, जिसे शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाना समीचीन होगा"।

5.10 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त अलीगढ़ नगर से प्राप्त 01 नया आश्रय निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयी:–

(क). निर्माण कार्य हेतु लागत धनराशि रू0 282.33 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर स्वीकृत प्रदान की गयी।

(ख) निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना कार्यदायी संस्था/नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ग) द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0/ नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता आधारित अनुपातिक रूप में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा फोटोग्राफ आदि विवरण सहित परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सन्तोषजनक स्थिति पाये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(घ). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ड़). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व शहर मिशन प्रबंधन इकाई को आश्रय के प्रकार, आवश्यकता आंकलन का विवरण, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा, जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(च) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(छ) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई अलीगढ़ द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(झ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरी निकायों/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अलीगढ़ के उक्त प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

6. उन्नाव

6.1 उन्नाव नगर के प्रस्तुतीकरण में परियोजना अधिकारी डूडा उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि ''शहरी बेघरों के आश्रय'' हेतु शहर के मध्य स्थित वार्ड नं0–13 एबी नगर दक्षिणी में 50 व्यक्तियों के लिए नये आश्रय निर्माण का प्रस्ताव है जो कि बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल से 500 मी0 से 1 किमी0 की दूरी पर है।

6.2 प्रस्तुतीकरण में उन्नाव प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल के समीप ही औद्योगिक इकाईयां भी हैं। उक्त औद्योगिक इकाईयों में काफी संख्या में श्रमिक कार्य करते हैं तथा शहर के रिक्शा चालक व मजदूर जो आश्रय की सुविधा न होने के कारण रोड के किनारे रात गुजारते हैं उनके आश्रय के लिए उक्त नये आश्रय निर्माण की योजना गाइडलाइन के अनुरूप प्रस्तावित की जा रही है।

6.3 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रस्ताव में प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। तकनीकी रूप से प्राप्त स्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस. आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा वित्तीय नियमों का पालन किया जाना अपरिहार्य होगा।

6.4 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्तावों में तकनीकी (Estimate) प्राक्लन ले आउट के साथ संक्षिप्त में, लोकेशन का विवरण, संचालन की रणनीति, आश्रय के प्रकार एवं व्यवस्थाओं का विवरण, आश्रय के लोकेशन, संचालन एवं प्रबंधन, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है।

6.5 प्रस्ताव में उन्नाव शहर की प्रोफाइल, आवश्यकता आंकलन का विवरण, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट, संचालन व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख नहीं है।

6.6 प्रस्तावित शेल्टर होम का संचालन 5 वर्षों के उपरान्त नगर पालिका परिषद उन्नाव द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक–1054/अभि0वि0/2014–15/2325 दिनांक– 20.11.2014 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि ''सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात हस्तगत करते हुये 5 वर्षों तक संचालन व रखरखाव प्राप्त धनराशि द्वारा किया जायेगा। इसके उपरान्त निरन्तरता बनाये रखने के लिए नगर पालिका परिषद उन्नाव के द्वारा अपने श्रोतों से योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आश्रय का प्रबन्धन एवं संचालन का कार्य किया जायेगा''।

6.7 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण हेतु भूमि के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा आश्रय गृह निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद की भूमि गाटा संख्या– 3254मि0 रकबा, 1.265 हेक्टेयर एवं गाटा संख्या– 871 रकबा 0.513 हेक्टेयर भूमि का सर्वे एवं चिन्हांकन तहसीलदार सदर उन्नाव की आख्या दिनांक– 04.03.2014 द्वारा किया गया है। भूमि से सम्बन्धित इन्तखाब खसरा एवं तहसीलदार सदर उन्नाव की आख्या परियोजना अधिकारी डूडा, उन्नाव को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी पत्रांक–1591/अधि0/2013–14/9474 दिनांक 06.03.2014 के माध्यम से डी0एम0 को प्रेषित स्पष्टीकरण पत्र में उल्लिखित है। उक्त उल्लिखित अभिलेख प्रस्ताव में

संलग्न नहीं है, "जिसे शहर मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा"।

6.8 निर्माण अवधिः– प्रस्ताव में "आश्रय निर्माण 12 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित किया गया है"।

6.9 शेल्टर होम हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि पर "कब्जा प्राप्त किये गये स्थल का फोटोग्राफ भी प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करा दिया गया है।

6.10 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त उन्नाव से प्राप्त 01 नया आश्रय निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृत प्रदान की गयीः–

(क). निर्माण कार्य हेतु लागत धनराशि रू0 202.47 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ख) निर्देश दिये गये कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना कार्यदायी संस्था/नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन निदेशालय को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।

(ग) द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही प्रथम किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0/ नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता आधारित अनुपातिक रूप में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा फोटोग्राफ आदि विवरण सहित परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त सन्तोषजनक स्थिति पाये जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(घ). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ड़) संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(च). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उन्नाव शहर की प्रोफाइल, आवश्यकता आंकलन का विवरण, लिकेजेंज विद इनटाइटिलमेंट, संचालन व्यवस्था, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली तथा अनुश्रवण एवं प्रबंधन व्यवस्था का दिशा निर्देशों के अनुसार विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा, जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

(छ) प्रस्तावित आश्रय परिसर में पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जायेगा तथा प्रगति आख्या में किये गये वृक्षारोपण का उल्लेख भी किया जायेगा।

(ज) निर्माण कार्य की विस्तृत प्रगति आख्या कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा नगर निगम/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के माध्यम से प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा। निर्माण कार्य की मासिक प्रगति आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उल्लिखित होगा, नियमित प्रस्तुत किया जायेगा।

(झ) संचालन व्यवस्था प्रारम्भ होते ही नियमित अनुश्रवण कर प्रत्येक माह संचालन की विस्तृत आख्या नगर पालिका परिसर/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई उन्नाव द्वारा राज्य मिशन निदेशालय को मासिक प्रस्तुत की जायेगी।

(ञ) निर्माण कार्य के गुणवत्ता की सघन देखरेख नियमानुसार नगरी निकायों/जिला स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा उन्नाव के उक्त प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

****

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव/मिशन निदेशक

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)
नवचेतना केन्द्र, लखनऊ

पत्रांक–3357/24/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक–16/12/14

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. श्री बी0के0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. राज्य मिशन निदेशक, एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0।
9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्तानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
11. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा–लखनऊ, कानपुर नगर, अलीगढ़ एवं उन्नाव।
12. डा0 अनिल कुमार सिंह, अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
13. श्री जे0पी0 सिंह, संयुक्त निदेशक, सूडा, लखनऊ।
14. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, कानपुर नगर एवं अलीगढ।
15. श्री आई0पी0 कनौजिया, परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
16. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उन्नाव।
17. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, लखनऊ, कानपुर नगर, अलीगढ़ एवं उन्नाव।
18. परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ, कानपुर नगर, अलीगढ़ एवं उन्नाव।
19. वेब मास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से

(श्रीप्रकाश सिंह) 16/12/2014
मिशन निदेशक

Annexure I

To the Minutes of 3rd State Project Sanction Committee meeting dated 28-11-2014 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

Rupees. in lac

S. No	Name of Distt	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share	State share	1st Installment (40% CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lucknow	Lucknow	A. Implementation of SUH Project under NULM at Paltan chawni Mohibullapur Sitapur Road, Lucknow construction of Now shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including one female dormitory for 14 women with separate ladies kitchen and attached toilets, 2 male dormitory of 12 person each with attached toilet and 2 family room and 2 sick rooms of 3 person each, Dining hall, kitchen office community space children play area, store, office and counseling room etc.	8 months	01.01.15	207.18	155.385	51.795	82.872
			B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs 6.00) lac annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.

S. No	Name of Distt	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share	State share	1st Installment (40% CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Unnao	Unnao	A. Implementation of SUH Project under NULM at Ward No-13 AB Nagar, Dakshini, Unnao construction of New shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including one female dormitory for 14 women with separate ladies kitchen and attached toilet, 2 male dormitory of & 12 person each with attached toilets, 2 family room and 2 sick rooms of 3 persons each. A dining hall, kitchen, store, office Community space, children play area and counseling room etc.	8 months	01.01.15	202.47	151.852	50.618	80.988
			B. Operation & maintenance shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs. 6.00 lac annual) shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
3	Aligarh	Aligarh	A. Implementation of SUH Project under NULM at Ward No-13 AB Nagar, Dakshini, Unnao construction of New shelter home (G+1) with the capacity of 100 person with the	8 months	01.01.15	282.33	211.748	70.582	112.932

e V

S. No	Name of Distt	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share	State share	1st Installment (40% CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			provision of female dormitories, male dormitory is family rooms, sick rooms, Verandah, Two kitchen, store, Security room, & office at Ground floor. Toilet facilities of each floor & bedding facilities etc. B. Operation & maintenance shelter home @ Rs 5.994 lac per year for 5 year.			29.97	22.478	7.492	2.397 (40% of Rs. 5.994 lac annual) shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
4	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	A. Implementation of SUH Project under NULM at Bhairavghat, Kanpur Nagar up gradation of existing shelter home (G+2) with the capacity of 50 person including office room, common hall (dormitory) for women's common hall for old & disable person, two kitchen, 4 w.c. and 4 bathroom of ground floor, store 2 common hall for man, 2 kitchen, 4 w.c., 4 bathroom at 1st floor. library, 6 family room, 2 kitchen, 4 w.c. & 4 bathroom at 2nd floor.	8 months	01.01.15	63.10	47.325	15.775	25.24

S. No	Name of Distt	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share	State share	1st Installment (40% CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			B. Operation & maintenance shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs. 6.00 lac annual) shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
5	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	A. Implementation of SUH Project under NULM at Chunniganj, Kanpur Nagar- Up gradation of Existing shelter home (G+2) with the construction work for the capacity of 50 person including. office room, store, common hall (dormitory) for women's common hall for old & disable person, two kitchen, 4 w.c. and 4 bathroom at ground floor. 2 common hall for men, 2 kitchen, 4 w.c., 4 bathroom and library at 1st floor. 7 family room, 2 kitchen, 4 w.c. & 4 bathroom at 2nd floor.	8 months	01.01.15	64.33	48.247	16.083	25.732
			B. Operation & maintenance shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.			30.00	22.50	7.50	2.40 (40% Rs. 6.00 lac annual) shall be released after receiving of completion certificate of

S. No	Name of Distt	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share	State share	1st Installment (40% CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									construction work of shelter home.
6	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	A. Implementation of SUH Project under NULM at Chacha Nehru Chikitsalaya, Koperganj, Kanpur Nagar- Up gradation of existing shelter home (G+2) with the capacity 50 person including office room, store, common hall (dormitory) for women's, common hall for old & disable person, two kitchen, 4 w.c. and 4 bathroom at ground floor. Library, 2 common hall for men, 2 kitchen, 4 w.c., 4 bathroom at 1st floor. 6 family room, 2 kitchen, 4 w.c. & 4 bathroom at 2nd floor. B. Operation & maintenance shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.	08 months	01.01.15	64.28 30.00	48.21 22.50	16.07 7.50	25.712 2.40 (40% Rs. 6.00 lac annual) shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
	Kanpur Nagar total		**A. Construction work of 3 Up gradation of shelter home.** **B. Operation & maintenance**	**8 months**	**01.01.15**	**191.71** **90.00**	**143.782** **67.50**	**47.928** **22.50**	**76.684** **7.20 (40% Rs.**

e V

S. No	Name of Distt	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction startup date	Total Project Cost	Central Share	State share	1st Installment (40% CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			shelter home @ Rs 6.00 lac per year for 5 year.						6.00 lac annual) shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
	Total Sanctioned		A. 6 Project of SUH (3 New + 3 Up gradation) Construction cost. B. O& M of shelter home for 5 year.	8 months	01.01.15	883.69 179.97	662.768 134.978	220.922 44.992	353.476 14.398 (40% of annual O&M Cost after receiving of completion certificate.